



निर्वाचन आयोग-राजस्थान

पीठासीन अधिकारियों और मतदान दलों के
प्रशिक्षण पर एक प्रस्तुति ।



आज के मुख्य बिन्दू



AT DISPATCH CENTER

DOs

1

सुनिश्चित करें कि आपने सब कुछ एकत्र कर लिया है मतदान सामग्री जैसा कि नवीनतम में उपलब्ध कराया गया है पूर्व निर्धारण अधिकारी पुस्तिका का संस्करण।

2

सुनिश्चित करें कि आपने अपने मतदान केंद्र से संबंधित सीयू बीयू और वीवीपीएटी एकत्र कर लिया है और प्रत्येक यूनिट के पीछे धातु की प्लेट/बारकोड के साथ एड्रेस टैग पर लिखी यूनिट आईडी का मिलान करें।

3

यह जाँचना कि बैटरी पूरी तरह चार्ज है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट को बंद कर दें

AT DISPATCH CENTER

DOs

4

जाँच करें कि उपयुक्त मतपत्र कागज को प्रत्येक मतपत्र इकाई पर विधिवत चिपका दिया गया है और मतपत्र स्क्रीन के नीचे ठीक से संरेखित कर दिया गया है और थंब व्हील स्विच को उचित स्थान पर सेट कर दिया गया है।

5

जाँच करें कि पारगमन के दौरान वीवीपैट के पीछे पेपर रोल लॉक नाँब पेपर रोल को लॉक करने के लिए लॉक स्थिति (क्षैतिज स्थिति) में है।

6

सुनिश्चित करें कि आपको मतदान केंद्र पर उपयोग के लिए सभी प्रकार के वैधानिक और गैर-सांविधिक फॉर्म और लिफाफे प्राप्त हो गए हैं।

AT DISPATCH CENTER

DOs

7

डिस्पैच सेंटर से निर्धारित मतदान केंद्र तक ले जाने से पहले मतदान प्रक्रिया या ईवीएम की कार्यप्रणाली के बारे में किसी भी या सभी संदेह को दूर कर लें।

8

यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करें।

AT DISPATCH CENTER DONOTs

1

किसी के पास भी ईवीएम और वीवीपैट न ले जाएं अनाधिकृत स्थान जैसे निवास, होटल आदि।

2

रवानगी के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए वाहन का ही उपयोग करें।

3

ईवीएम, वीवीपैट और अन्य चुनाव सामग्री प्राप्त होने के बाद निर्दिष्ट स्थान पर ही रुके, इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर न रुकें

AT DISPATCH CENTER DONOTs

वीवीपैट को चालू
और बंद न करें
क्योंकि इससे
बैटरी के
साथ-साथ पेपर
रोल भी ख़त्म हो
जाएगा जिससे
मतदान के दौरान
समस्याएँ पैदा
होंगी।

वितरण के दौरान
मतपत्र इकाई,
नियंत्रण इकाई
और वीवीपैट को
न जोड़ें।

बीयू, सीयू और
वीवीपैट से कोई
भी सील न
हटाएं।

वितरण के समय
और मतदान केंद्र
पर मॉक पोल से
पहले वीवीपैट का
परीक्षण न करें।

AT POLLING STATION

DOs

मतदान दल के सभी सदस्यों और सुरक्षा कर्मियों को मतदान केंद्र पर उपस्थित रहना होगा

सुनिश्चित करें कि मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त जगह हो और पुरुष और महिला मतदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग-अलग कतारें हों।

पर्दानसिन महिला मतदाताओं की पहचान एवं अमिट स्याही के प्रयोग लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करें यदि आवश्यक।

AT POLLING STATION

DOs

मतदाताओं के लिए
अलग-अलग प्रवेश
और निकास
सुनिश्चित करें।

बैलेट यूनिट और
वीवीपैट को वोटिंग
कम्पाटमेंट में इस
तरह रखें कि कोई
भी इंटरकनेक्टिंग
केबल से कोई भी
छेठखानी न कर
सके और केबल पूरी
तरह से दिखाई दे
और इसके रूटिंग
से मतदान केंद्र के
अंदर मतदाताओं की
आवाजाही में बाधा
न आए।

कंट्रोल यूनिट चालू
करने से पहले
कार्यशील-ऊर्ध्वाधर
स्थिति में पेपर रोल
को करें, इसके लिए
वीवीपैट
लॉक-अनलॉक
स्थिति में रखें।

AT POLLING STATION

DOs

AT POLLING STATION DOs

मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करें कि मतदान अधिकारी और एजेंट इस प्रकार बैठे हैं कि मतदाता अपना वोट दर्ज करते हुए उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता

पीडब्ल्यूडी / वरिष्ठ नागरिक, पुरुष और महिला निर्वाचक के लिए तीन अलग-अलग कतारें सुनिश्चित करें

मतदान एजेंट के नियुक्ति पत्रों की जांच करें और उन्हें आर.पी. अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों के बारे में बताएं। उन्हें अपने आवागमन हेतु प्रवेश पास दिए जाएँ।


AT POLLING STATION

DOs

सुनिश्चित करें कि मतदान एजेंट जो मतदान केंद्र में नियुक्त किये गये हैं उस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची नामांकित हो और ईपीआईसी या कोई अन्य सरकार स्वीकृत फोटो पहचान पत्र हो।

निम्नलिखित सुनिश्चित करें:

- 1- मतदान केंद्र के बाहर मतदान क्षेत्र और मतदान केंद्र द्वारा दी जाने वाली मतदाताओं की विशिष्टताओं को निर्दिष्ट करने वाला एक नोटिस प्रदर्शित किया जाता है।
- 2- चुनाव लड़ने वालों की सूची की प्रति उम्मीदवारों को फॉर्म 7ए में मतदान केंद्र के बाहर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है
- 3- मतदाता सुविधा पोस्टर और निर्देश मतदान के प्रवेश द्वार के पास बाहरी भाग पर प्रदर्शित होते हैं



AT POLLING STATION

DOs

मतदाताओं को आवश्यक सहायता हेतु एक सहायता डेस्क / मतदाता सहायता बूथ प्रदान करने के लिए बीएलओ द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए।

सभी सुरक्षाकर्मी आपके मतदान केंद्र पर तैनात हो यह सुनिश्चित करें।

AT POLLING STATION DONOT'S

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार,
राजनीतिक दल और स्थानीय
लोग आदि किसी का आतिथ्य
स्वीकार न करें

किसी के लिए खाना पकाने या
रोशनी के उद्देश्य की कोई
व्यवस्था की अनुमति पीएस के
अंदर नहीं दी जानी चाहिए

पीएस के अंदर धूम्रपान की
अनुमति नहीं है

पीएस के अंदर कोई भी हथियार
नहीं ले जाना चाहिए

मोबाइल फोन को अंदर न आने दें
बूथ और यहां तक कि मतदान
कर्मियों के सेल फोन भी मतदान
केंद्र के अंदर बंद/साइलेंट मोड
में रहने चाहिए।

AT POLLING STATION

DONOT's

वीवीपैट के सामने उच्च वाट क्षमता वाले तापदीप्त बल्ब / ट्यूब-लाइट को सीधे ऊपर या अंदर न रखें और कोई खिड़की भी नहीं ईवीएम और वीवीपैट के पीछे खोला जाना चाहिए।

मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ईवीएम और वीवीपैट को वेब कैमरा / वीडियो कैमरे के सामने न रखें।

किसी भी व्यक्ति जो उम्मीदवार या पार्टी से जुड़ा है, को मतदान अधिकारी हेतु नियुक्त न करें (अप्रत्याशित स्थिति में जहां मतदान अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते)

चुनाव से संबंधित किसी भी नेता की कोई तस्वीर या राजनीतिक दल या नारे का प्रतीक पीएस में प्रदर्शित नहीं करें।

AT POLLING STATION DONOT's

कोई भी अभियान / प्रचार सामग्री पीएस के आसपास और बूथ के आसपास और 100 मीटर का क्षेत्र में प्रदर्शित नहीं की जाएगी ।

किसी भी राजनीतिक दल के एजेंट को बूथ के अंदर इस तरह से नहीं बैठाया जाए कि वे मतदाता को उसका वोट रिकार्ड करते समय देख सकें ।

अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई राजनीतिक दल का सदस्य पीएस के अंदर या 200 मीटर के दायरे में चारों ओर से बैठने की अनुमति नहीं दी जाए ।

मतदाता द्वारा **Voting Compartment** में मतदान करते समय किसी भी फोटोग्राफर / व्यक्ति को तस्वीरें लेने की अनुमति न दें

During Mock Poll DO's

नियंत्रण इकाई के पैनल पर प्रदर्शित डिस्पले को समझना चाहिए

1

यदि निर्देशित हो तो अधिकृत वीडियोग्राफर द्वारा ग्राफ़ किया गया मॉक पोल की कार्यवाही का वीडियो होना चाहिए।

2

मॉक पोल के दौरान कम से कम 50 वोट डाले जाने चाहिए। उम्मीदवार/एजेंट की उपस्थिति में मॉक पोल किया जाना चाहिए।

5

मॉक पोल के लिए बैलेट यूनिट एवं वी.वी.पैट वोटिंग कम्पार्टमेंट में रखा जाना चाहिए, जहां एक मतदान अधिकारी होता है मतदान एजेन्ट के साथ उपस्थित रहना होगा जो बीयू और वीवीपैट पर छपी कागज की पर्चियपर परिचालन का निरीक्षण करना होगा।

3

वीवीपैट पर वर्टिकल में पेपर रोल लॉक लगाएं बीयू, सीयू और वीवीपैट के इंटर कनेक्शन के बाद की स्थिति

4

During Mock Poll DO's

कंट्रोल यूनिट का 'क्लियर' बटन दबाएँ वास्तविक मतदान से पहले मॉक पोल के दौरान दर्ज किए गए वोटों का लेखा-जोखा

मतदान एजेंट के समक्ष खाली ड्रॉप बॉक्स को सत्यापित किया जाना चाहिए

मॉक पोल वीवीपैट पेपर पर्चियों का भंडारण और सील करने की प्रक्रिया का पालन करें।

वास्तविक से पहले वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को थ्रेड और एक एड्रेस टैग का उपयोग कर सील करें इस पर पीठासीन अधिकारी की मुहर व पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर प्राप्त करें।

During Mock Poll

DO's

कोई भी अभियान/प्रचार सामग्री पीएस के आसपास और बूथ के आसपास और 100 मीटर का क्षेत्र में प्रदर्शित नहीं की जाएगी।

किसी भी राजनीतिक दल के एजेंट को बूथ के अंदर इस तरह से नहीं बैठाया जाए कि वे मतदाता को उसका वोट रिकार्ड करते समय नहीं देख सकें।

अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई राजनीतिक दल का सदस्य पीएस के अंदर या 200 मीटर के दायरे में चारों ओर से बैठने की अनुमति नहीं दी जाए।

मतदाता द्वारा मतदान कक्ष में मतदान करते समय किसी भी फोटोग्राफर/व्यक्ति को तस्वीरें लेने की अनुमति न दें

During Mock Poll DO's

नियंत्रण इकाई के परिणाम अनुभाग को हरे पेपर सील, विशेष टैग और एड्रेस टैग से सील करें और मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करें।

पीठासीन अधिकारी का भाग-। रिपोर्ट (मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करें) और उस पर मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करें।

पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के भाग- । में मतदान अधिकारी बताते हैं कि वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले, मॉक पोल वोट सीयू से मिटा दिए गये हैं और मॉक पोल वीवीपैट पर्चियां वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से हटा दी गयी हैं। . अन्य मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर ले लो

पीएस में मॉक पोल के अंत में, नियंत्रण इकाई के प्रदर्शन में दिखाई गई तारीख और समय की जांच करें और नोट करें और साथ ही वास्तविक तिथि और समय के साथ-साथ दोनों के बीच कोई विसंगति, यदि कोई हो, तो मॉक पोल में इसका उल्लेख करें। प्रमाणित करें और पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी

मॉक पोल पूरा होने के बाद आपके सेक्टर अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को इंटिमेट करें

During Mock Poll DONOT's

यदि चुनाव एजेंट मौजूद नहीं
या केवल एक है तो मॉक
पोल शुरू न करें तथा 15
मिनट तक इंतजार करें।

कम से कम 50
वोट डाले बिना
मॉक पोल बंद न
करें

कंट्रोल इकाई के
पिछले डिब्बे को
मोम के साथ सील
न करें

मॉक पोल के दौरान कम
से कम एक वोट नोटा
सहित प्रत्येक उम्मीदवार
को देना न भूलें

मॉक पोल के लिए बीयू
सीयू और वीवीपैट को
एक टेबल पर न रखें
(मतदान के समय बीयू
और वीवीपैट कम्पार्टमेंट
में रखें)।

मतदान दिवस पर मॉक
पोल का समापन के बाद
कोई भी मॉक पोल
पर्चियां वीवीपैट स्लिप
कम्पार्टमेंट के अंदर न
छोड़ें।

During Mock Poll DONOT's

मॉक पोल वीवीपैट पर्चियां काले लिफाफे में बिना मोहर लगा हुआ न रखें

मॉक पोल के दौरान ईवीएम की गिनती का वीवीपैट पर्चियों की गिनती से मिलान करना न भूलें

(पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट का भाग-ए) में मॉक पोल प्रमाणपत्र लेना न भूलें । मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर लें.

वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले सी.यू से मॉक पोल डेटा "CLEAR" करना न भूलें

सीयू और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स का परिणाम अनुभाग की सीलिंग के बिना वास्तविक मतदान शुरू न करें और मतदान एजेंट के हस्ताक्षर ले ।

COMMENCEMENT/DURING POLL DO's & DONOT's

S.N.	DO	DONOT
1	सुनिश्चित करें कि मतदान निर्धारित समय पर प्रारंभ हो	पीढासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति के बिना voting compartment में प्रवेश न करें
2	सभी उपस्थित लोगों को इसके प्रावधानों के बारे में बताएं मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 और किसी भी उल्लंघन के लिए दंड की चेतावनी दी गई है।	अनपढ़ मतदाताओं को मतदान के समय ईवीएम का उपयोग कैसे करें और अपना वोट कैसे डालें voting compartment में समझाने के लिए प्रवेश न करें इस उद्देश्य के लिए कार्डबोर्ड डमी बीयू का उपयोग करें
3	निर्धारित प्रारूप में घोषणापत्र के अनुदेश को तदनुसार पढ़ें	पीआरओ या अन्य स्टाफ अक्सर voting compartment में, नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे शिकायतों की गुंजाइश हो सकती है।
4	अमिट स्याही का प्रबंधन के संबंध में उचित सावधानियां बरतें	मतदान समाप्ति तक VVPAT . पेपर रोल नॉब को चालू न करें

COMMENCEMENT/DURING POLL

DO's & DONOT's

S.N.	DO	DONOT
5	आगंतुक शीट का रखरखाव करें और आयोग द्वारा निर्धारित अनुसार आगंतुकों की प्रविष्टियाँ करें।	केवल वीवीपैट को बदला गया होने की स्थिति में मॉक पोल न कराएं वास्तविक मतदान. में यदि पूरा सेट प्रतिस्थापन के मामले में मतदान के दौरान पूरे सेट पर मॉक पोल नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार। केवल एक वोट देकर आयोजित किया जाएगा।
6	मतदान प्रारंभ होने की स्थिति की जानकारी अपने सेक्टर अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को दें।	पूरे सेट के प्रतिस्थापन के मामले में मतदान के दौरान नियंत्रण इकाई से मॉक पोल डेटा और मॉक पोल प्रक्रिया में वीवीपैट से वीवीपैट मॉक पर्चियों को साफ़ करना न भूलें।
7	मतदान अधिकारी 1 पहले मतदाता से पहले फॉर्म 17ए (मतदाताओं का रजिस्टर), पर हस्ताक्षर करें पीठासीन अधिकारी जांच करेगा और फॉर्म 17ए में स्याही में रिकॉर्ड करेगा कि "नियंत्रण इकाई में कुल की जांच की गई और शून्य पाया गया"।	वोटिंग कम्पार्टमेंट में वीवीपैट के ऊपर कोई अधिक रोशनी वाला बल्ब न लटकाएं
8	नियमित अंतराल पर मतपत्र यूनिट और वीवीपीएटी की जाँच करें यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता ने इसके साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की है।	बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को Connect और Dis-Connect के समय, कंट्रोल यूनिट को Power-On न करें

COMMENCEMENT/DURING POLL

DO's & DONOT's

S.N.	DO	DONOT
9	समय-समय पर 'कुल' की जाँच करें यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान मतदाताओं के क्रम के अनुसार हो रहा है (कुल) सीयू पर टोटल बटन दबाकर नियंत्रण इकाई मतदाता रजिस्टर से मिलान होना चाहिए अर्थात, फॉर्म 17ए अंतिम क्रमांक)।	'पारदर्शी' चिपकने वाली टेप के साथ बीयू/वीवीपीएटी की केबल को टेबल के निचले हिस्से तक इंटरकनेक्टिंग करना न भूलें
10	प्रत्येक दो घंटे पर मतदान के संबंध में पीठासीन अधिकारी की डायरी का संकलन करना और निर्दिष्ट चैनलों के माध्यम से आरओ को भेजना	केबल को डिस्कनेक्ट करते समय कनेक्टर के दोनों तरफ की कुंडी दबाना न भूल.

CLOSING OF THE POLL

DO's & DONOT's

S.N.	DO	DONOT
1	मतदान नियत समय पर बंद कर दें, भले ही मतदान देर से शुरू हुआ हो। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर वाली क्रमांकित पर्चियाँ केवल उन मतदाताओं को दें जो इस समय कतार में हैं और कतार में अंतिम व्यक्ति से शुरू करें।	मतदान के समापन पर नियम 49एस के तहत भाग III (अनुलग्नक-6) में मतदान एजेंटों को दर्ज मतों के खाते की प्रतियां प्रस्तुत करने के संबंध में एक घोषणा करना न भूलें।
2	सुनिश्चित करें कि कोई अतिरिक्त व्यक्ति नियत समय के बाद कतार में शामिल न हो	मतदान पूरा होने के बाद वीवीपैट को उसके कैरिंग केस में सील करने से पहले वीवीपैट से वीवीपैट पावर पैक (बैटरी) निकालना न भूलें।
3	सुनिश्चित करें कि अंतिम मतदाता द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार मतदान करने के बाद, नियंत्रण इकाई पर 'CLOSE का बटन दबाया गया है और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग-III तैयार किया गया है।	मॉक पोल के दौरान या वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम के प्रतिस्थापन के मामले में, जैसा भी मामला हो, भाग प्ट और ट में मतदान समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट बनाना न भूलें।
4	फॉर्म 17सी के भाग I के ITEM 6 में सीयू में सीयू में दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्या नोट करें	मतदान समाप्ति पर सीयू पर CLOSE बटन दबाना न भूलें।

CLOSING OF THE POLL

DO's

मतदान समाप्ति के समय, पीठासीन अधिकारी की डायरी में सीयू पर प्रदर्शित मतदान समाप्ति तिथि और समय को नोट कर लें।

सीयू को **Switch Off** करें और फिर डिस्कनेक्ट करें वीवीपैट से बीयू और कंट्रोल यूनिट से वीवीपैट।

मतदान एजेंटों की उपस्थिति में वीवीपीएटी पावर पैक निकालें

मतदान समाप्ति के बाद, नियम 49एस के तहत सीयू में दर्ज वोटों का एक खाता तैयार करें (ऐसा खाता फॉर्म-17सी के भाग-1 में दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा और उसकी प्रति प्रत्येक मतदान एजेंट को दी जानी चाहिए।)

DEALING EVM & VVPAT AFTER CLOSE OF POLL

S.N.	DO	DONOT
1	कंट्रोल यूनिट को POWER-OFF कर दें मतपत्र इकाइयों , नियंत्रण इकाई और वीवीपैट को डिस्कनेक्ट करने से पहले,	पीढासीन अधिकारी की डायरी के लिए दिए गए परफॉर्मा के अलावा किसी अन्य परफॉर्मा का उपयोग न करें
2	सुनिश्चित करें कि वीवीपैट का पावर पैक हटा दिया गया है; वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में मौजूद पेपर पर्चियां बरकरार हैं और बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को उनके संबंधित केस में वापस रख दिया गया है।	सीलिंग के समय ईवीएम और वीवीपैट पर सही एड्रेस टैग लगाना न भूलें।

DEALING EVM & VVPAT AFTER CLOSE OF POLL

S.N.	DO	DONOT
1	<p>सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कैंरी केस को कैंरी केस के दोनों किनारों पर इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए दो छेदों के माध्यम से एक धागा डालकर और चुनाव के विवरण दिखाने वाले एक पते टैग के साथ थ्रेड सील लगाकर दोनों सिरों पर सील किया गया है। पीएस और उसमें मौजूद इकाई पर और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं</p>	<p>सीलिंग के समय ईवीएम, वीवीपैट और उनके कैंरी केस पर मोम न लगाएं।</p>
2	<p>सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता उपस्थित एवं इच्छुक हैं तो उन्हें अपनी मुहर लगाने की भी अनुमति होगी।</p>	
3	<p>सुनिश्चित करें कि मतदान के समापन पर जिन उम्मीदवारों/मतदान एजेंटों ने बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के कैंरिंग केस पर उनकी सील चिपका दी गई है उनका नाम मतदान के पश्चात् धोषणा में पीठासीन अधिकारी द्वारा किया गया है।</p>	

ALL THE BEST!

iiidem



THANKS